कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर।

पत्रांक—अ—24 / एफ0एस—2012 दिनांक—अक्टूबर, 2014

UID No-2014/4133/GKR/GORAKHPUR/63/CFO

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

विषयः— मानचित्र संख्या—1621 / 2013, आराजी संख्या—68,69 मोहल्ला—खोराबार, उर्फ—सूबाबाजार, गोरखपुर रोड गोरखपुर में प्रस्तावित आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:—

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—64 / मा0अनु0गो0वि0प्रा0 / 2014—15 दिनांक—16.10.2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर द्वारा कराया गया, जो निर्धारित समयावधि में अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर द्वारा प्रो0 एन0ओ0सी0 जारी करने में कोई आपत्तियुक्त तथ्य प्रस्तुत न करने पर स्वयं मेरे द्वारा भी प्रस्तावित भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित भवन का स्थलीय निरीक्षण करने तथा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

भवन की संरचनाः—

1— कुल भूखण्ड एरिया—3984.38 वर्गमीटर है।
2— निर्मित भूतल (स्टिल्ट) कवर्ड एरिया—1099.32 वर्गमीटर है।
3— प्रथम तल से पंचम तल तक कवर्ड क्षेत्रफल प्रत्येक तल 1099.33 वर्गमीटर है। छठवें एवं सातवें तल का कवर्ड क्षेत्रफल—580.64 वर्गमीटर है।
4— भवन की ऊँचाई 22.67 वर्गमीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्थाः—

1— पहुँच मार्ग—भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 12 मीटर सड़क की चौड़ाई।
2— प्रवेश द्वारा की चौड़ाई 4.5 मीटर से अधिक है, जो मानक के अनुसार है।
3— **सेटबैक**—प्रस्तावित भवन की सेटबैक निम्नवत है:—
 ए— अग्रभाग 06 मीटर
 बी— पृष्ठभाग 06 मीटर
 सी— पार्श्व भाग प्रथम 06 मीटर
 डी— पार्श्व भाग द्वितीय 06 मीटर है।

06 मीटर सेटबैक भूतल पर प्रस्तावित है। 06 मीटर सेटबैक भूतल के अतिरिक्त 03 मीटर आफसेट पंचम तल के बाद छोड़ा गया है।

अतः उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार हैं। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई / अस्थाई निमार्ण कार्य मान्य नहीं होगा।

4— **निकास मार्गः**—प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर जिनकी चौडाई कमशः 1.5, 1.2 मी0 का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर एवं समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

कमशः—2 पर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:—नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1— टेरिस टैंक— प्रस्तावित भवन की टेरिस पर 25000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

2— टेरिस पम्प— प्रस्तावित भवन की टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प की क्षमता 900 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

3— होजरील:— प्रस्तावित भवन में होजरील एवं लैण्डिग वाल्व आई0एस0—3844 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

4— स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:— ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार बेसमेन्ट मे अनिवार्य है।

5— सम्पूर्ण भवन में मैनुअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के अनुसार कराया जाय।

6— प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0—13039:1991 के अनुसार कराया जाय।

7— प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):— प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0—2190:1992 के अनुसार स्थापित कराया जाय, जो मानक के अनुरुप हो।

8— स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:— स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम वांछनीय है।
ए0—फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग प्रस्तावित है।
बी0—सिस्टम की मेकअप एयर हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है ।
सी0—स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण प्रस्तावित है।

9— एग्जिट साईनेज:— सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज कराया जाय।

10— पी0ए0 सिस्टम:— पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में करायी जाय।

अतः उपरोक्तानुसार **मेसर्स श्री अभिषेक सिंह, ए0एम0बी0 इन्फ्राटेक प्रा0लि0, मोहल्ला—खोराबार, उर्फ सूबाबाजार, गोरखपुर रोड गोरखपुर** में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

J Sinha
24/11/14
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर

प्रतिलिपि—

1— सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को कृपया सूचनार्थ।
2— संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को कृपया सूचनार्थ।
2— अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
3— आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर।